

**CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(Govt. of India Undertaking)
Corporate Office, New Delhi**

TENDER NOTICE

FOR

EMPANELLEMENT OF ADVERTISING AGENCY AT CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION, CORPORATE OFFICE, HAUZ KHAS, NEW DELHI

Important Information		
1.	Tender Reference Number	CWC/CO/PUB/EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCY/2018-19 dated 28.08.2018
2.	Cost Of the Tender	Rs.500/- (Rupees Five Hundred Only)+GST 18%
3.	Estimates Cost Value for 2018-19	Rs.130 Lakhs
4.	Scope of Work	Empanelment of Advertising Agency for 2018-19 (To publish in house advertisement in various newspaper all over the country)
5.	Eligibility Criteria	Please see Annexure-A & 3.0 at NP 3
6.	Web Site address from where Tender can be downloaded	www.tenderwizard.com/CWC, www.cewacor.nic.in,www.eprocure.gov.in and www.tenderhome.com
7.	Nature of bid process	Online submission through e-tendering system of Corporation at the website www.tenderwizard.com/CWC
8.	Address for Correspondence	Deputy General Manager (Publicity), Central Warehousing Corporation, 4/1 Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi - 110 016
9.	Start Date for Downloading of Tender	28.08.2018 at 9.30 a.m.
10.	Date and time of Pre-bid meeting.	07.09.2018 at 3.00 PM., at Publicity Division CWC, Corporate Office, New Delhi for any clarification and query
11.	Last Date for Downloading of Tender	19.09. 2018 (up to 2 p.m.)
12.	Last date for submission of Tender	19.09. 2018 (up to 3 p.m.)
13.	Opening of Bid	19.09. 2018 (3.30 p.m.), CWC, Corporate Office, New Delhi

This tender contains 1 to 28 pages with A to H Annexure.

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

Bid No.:CWC/CO/PUB./ EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCY/2018-19

DATE: 28.082018

“ONLY THROUGH E-TENDERING PROCESS”

1.0 The open bid enquires through e-Tendering are invited for Empanelment of Advertising Agencies for two years at CWC, Corporate Office, Hauz Khas, New Delhi-110016. **The Bid documents are to be downloaded, filled & submitted through e-tendering system of Corporation at the website www.tenderwizard.com/CWC. If any Bidder wishes to participate in the Corporation tenders, Bidder has to register their firm once in our website www.tenderwizard.com/CWC for online e-Tendering in consultation with our service provider M/s. K.S.E.D.C. Limited, (Technical Bid & Financial Bid) by due date for entering into empanelment with CWC for two years and extension by three months at the discretion of CWC:-**

Sr. No.	Description of item	Cost of Tender Document Rs.	Processing Fee of tenders Rs.	Last date of downloading of tender	Last Date/time		Validity of bid
					Uploading of Tender	Opening of Tender	
1.	Empanelment of Advertising Agencies	Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) + 18% GST	Rs.1534/- (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Four only) including 18% GST	19.09. 2018 (up to 2 pm)	19.09. 2018 (up to 3 pm)	19.09. 2018 (3.30 pm)	120 Days from the date of opening of Bid

For More information please visit our website www.cewacor.nic.in/www.tenderwizard.com/CWC or contact Mr. Shibu, Mob. No. 8800115946 Authorized representative of M/s K.S.E.D.C.

(Signature of the authorized person)

2.0 Brief Scope of Work:

To publish in house advertisement in various newspaper all over the country.

3.0 Period of Contract:

The empanelment of the advertising agencies will be done for a period of 2 years and extendable by another three months based on performance of the agency, at same rates, terms & conditions at the discretion of CWC.

3.1 Eligibility Criteria

The bidders are required to meet all the Eligibility criteria as mentioned in Annexure-A and upload all the documents mentioned against each criteria failing which the tender will be rejected.

4.0 E-procurement

This Bids being processed through e-tendering. The Bid documents are to be downloaded, filled up & submitted through e-tendering system of Corporation at the website www.tenderwizard.com/CWC. The bidder should sign each and every paper while uploading the tender document. If not, they are liable for rejection. Bidder wishes to participate in the Corporation tenders, Bidder has to register their firm once in our website www.tenderwizard.com/CWC for online e-Tendering in consultation with our service provider M/s. K.S.E.D.C. Limited. No bid in physical form will be accepted and any such bid if received by CWC will be out-rightly rejected.

Cost of Tender of Rs.500/-(Rupees Five Hundred Only)+ GST 18% and EMD can be paid online through Credit/Debit Cards or NEFT/RTGS or NET banking or Direct Debit as per the CWC bank A/c details given in the tender at clause 8 at NP-5 and proof of payment to be uploaded.

Digital Signature: The Bidder shall require the Digital Signature/ Digital Security Certificate for participating in Corporation e-tendering process (for login, downloading & uploading of Bid documents or for submitting the e-Bid documents). Digital Signature can be obtained from any of the authorized agencies of CCA,(Controller of Certifying Authorities). For this a separate processing fee would be payable to the authorized agency of CCA.

The Bidder has to register (if not registered earlier) by clicking on the REGISTER ME link on the website www.tenderwizard.com/CWC after obtaining digital signature to participate in e-tendering/e- procurement system. In case of Joint Venture, Bidders requested to register with M/s. K.S.E.D.C. Limited in the name of Joint Venture only for any assistance please contract help desk.

The detailed procedure for the registration is as under:

- i) Go to the [url:-www.tenderwizard.in/CWC](http://www.tenderwizard.in/CWC)
- ii) Clicking on the REGISTER ME link.
- iii) In the Vendor Registration form, vendor has to fill up the applicant details, digital signature information correct e-mail address.
- iv) The User-id and Password are generated in the form of Acknowledgement.
- v) The User-id and password would be Activated by M/S **K.S.E.D.C Limited**.

All the bidders are requested to get themselves registered well in advance and no extra time will be considered for the delay in on-line Vendor Registration, if any. In case bidders wait till the last moment for uploading tenders, and if any **technical problem is encountered at that time, the Bid closing time may elapse.**

Please contact helpdesk 'Project Coordinator, Tender wizard Help Desk Center C62, 2nd Floor, Preet Vihar, Opp to Metro Pillar No. 79, New Delhi-110092, Ph No: 011-49424365 Mr. Shibu, Mob. No. 8800115946 for clarification about e-tendering procedures.

- 5.0 The complete set of Bid Document can be downloaded by the Bidder through www.tenderwizard.com/CWC only after registration as explained at Sl. No. 4.0 above for participation through e-tendering process.
- 6.0 The last date for downloading of Bid document is **19.09. 2018** up to 2 p.m.
- 7.0 The Bidder is also advised to keep visiting the websites as mentioned below for any Notification from Corporation regarding the tender including corrigendum, addendum etc.

- i) www.cewacor.nic.in
- ii) www.tenderwizard.com/CWC
- iii) www.eprocure.gov.in
- iv) www.tenderhome.com

8.0 **Payment of Tender cost/EMD**

The cost of bid document is Rs. 500/- (Rupees Five Hundred Only)+18% GST and EMD of Rs.1,00,000/-(Rupees One Lakh Only) can be paid separately online through Credit/Debit cards or NEFT/RTGS or NET Banking or direct debit to the Central Warehousing Corporation, bank account as per details given below:-

Name of the bank	Vijaya Bank
Branch	Hauz Khas, New Delhi
IFSC Code	VIJB0006015
Bank A/c No.	601501011001058

The Unique Transaction Reference (UTR) of RTGS/NEFT against the cost of tender and EMD or proof for payment through Credit/Debit cards/Net banking/Direct Debit have to be uploaded along with the bid

The tenderers registered with the National small Industries Corporation under revised scheme who can produce certificate of competency from above Corporation would be issued tender forms free of cost. Tender forms shall be issued free of cost to the tenderer registered with any of the agencies mentioned in the notification dated 23.03.2012 of Ministry of MSME. This concession will not be available to the parties who do not furnish Registration and Competency Certificate issued by any of the agencies mentioned in the notification of ministry of MSME indicated below along with the bid.

- (i) District industries Centres
- (ii) Khadi and Village Industries Commission
- (iii) Khadi and Village Industries Board
- (iv) Coir Board
- (v) National Small Industries Corporation
- (vi) Directorate of Handicraft and Handloom
- (vii) Udyog Aadhar
- (viii) Any other body specified by Ministry of MSME

The MSEs must also indicate the terminal validity date of their registration.

The benefit as stated above to MSE, shall be available only for goods and services produced & provided by MSEs for which they are registered.

MSME Enterprises/Units owned by SC/ST should provide authenticated document in support of their claim for the benefit to be extended to them. The definition of MSEs owned by SC/ST is as under:-

- (a) In case of proprietary MSE, the proprietor(s) shall be SC/ST.**
- (b) In case of partnership MSE, SC/ST partners shall be holding at least 51% shares in the unit.**
- (c) In case of private limited companies at least 51% share shall be held by SC/ST promoters.**

In case the MSE does not fulfill the criteria as mentioned in Page no.5 above, such offers will not be liable for consideration of benefits detailed in MSE notification of Government of India dated 23.03.2012.

The scanned copy of cash receipt or certificate of registration (for tenderers registered with NSIC) or registration certificate with any of the agencies mentioned in the notification dated 23.03.2012 of Ministry of MSME, may be uploaded/submitted online before the date and time set for closing of tender.

Tender Processing Fee of Rs. **1534/- (Rupees One Thousand Five Hundred Thirty Four only)** including GST 18% [Non-refundable] for each tender has to pay in the form of e-payment to “M/s **K.S.E.D.C Limited**” **Bangalore**. Those bidders who failed to submit the tender processing fee to M/S KSEDC Limited their bid would not be made available by the system and shall not be considered during the opening of the tender.

9.0 **Earnest Money (EMD) of Rs.1,00,000/-(Rupees One Lakh Only) may be submitted online as per the CWC Bank details given at Clause No. 8.0 above.** Such EMD shall not carry any interest. In case of non-receipt of EMD requisite value in acceptable form, Bid will not be entertained and shall be summarily rejected.

10.0 The EMD submitted by the Bidder shall be forfeited:

- (i) If the Bidder withdraws its Bid after submission and during the period of Bid validity specified in the Bid Proposal.
- (ii) If Bidder found involved in Fraudulent Practice; if the Bidder submits false, dubious, forged or tampered documents/declaration/ statement.

10.1 Earnest money will be returned to all the unsuccessful bidders after the successful bidder has signed the agreement and has deposited the requisite security deposit. Earnest money deposited by the successful bidder shall be treated as part of the security deposit. The bidder who has submitted EMD, whereas could not complete the online bid submission process, for any reason.

EMD in such cases, will be returned immediately upon opening of bids. **No interest shall be payable on the amount of Earnest Money in any case.**

- 10.2 The tenderer registered with the National small Industries Corporation under revised scheme who can produce certificate of competency will not be required to submit the requisite earnest money up to the monetary limit fixed by the NSIC. Tenderers should furnish requisite amount of earnest money with the tender beyond monetary limit fixed in the registration certificate by NSIC. This concession will not be available to the parties who do not furnish Registration and Competency Certificate. If party fail to submit the requisite certificate bid will not be entertained and shall be summarily rejected.
- 10.3 The tenderer registered for the item tendered with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME will not be required to submit the requisite earnest money up to the monetary limit fixed by the registering agency. Tenders should furnish requisite amount of earnest money with the tender beyond monetary limit fixed in the registration certificate by with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME. This concession will not be available to the parties who do not furnish Registration and Competency Certificate issued by any of the agencies mentioned in the notification dated 23.12.2012 of ministry of MSME indicated below along with the bid. If party fail to submit the requisite certificate bid will not be entertained and shall be summarily rejected.
- i. District industries Centres
 - ii. Khadi and Village Industries Commission
 - iii. Khadi and Village Industries Board
 - iv. Coir Board
 - v. National Small Industries Corporation
 - vi. Directorate of Handicraft and Handloom
 - vii. Udyog Aadhar
 - viii. Any other body specified by Ministry of MSME

The MSEs must also indicate the terminal validity date of their registration

11.0 SECURITY DEPOSIT

The successful bidder shall have to furnish Security Deposit of 5 times of EMD i.e., Rs 5,00,000/- (Rupees five lakh Only) through demand draft drawn in favour of Central Warehousing Corporation payable at New Delhi issued by any Nationalized /Schedule Bank within 7 days of award of work . Security deposit shall not carry interest and no claim shall lie against the Corporation in respect of interest under any circumstances. Security Deposit will be returned without interest after completion of the contract after settling all the accounts with the contractor and after obtaining No due certificates. If the successful tenderer had

previously held any contract and furnished security deposit, the same shall not be adjusted against the tender and a fresh security deposit will be required to be furnished.

The Security Deposit would be forfeited by the Corporation under the following conditions:-

- i) The Bidder fails to complete the work upto satisfaction of the Corporation.
- ii) The Bidder fails to conform to the terms and conditions of this tender document.
- iii) The Bidder resile the contract during the contract period.

12.0 BIDDING PROCESS

12.1 Bid Submission

The Bidder must submit the Bid only through e-Tendering- Website www.tenderwizard.com/CWC. The documents mentioned under clause No. 3.1 and Annexure-A are to be uploaded through Corporation e- Tendering website www.tenderwizard.com/CWC. **The Person** authorized through Board resolution/ holding the Power Of Attorney to sign the tender as authorised signatory shall only upload the bid with his digital signature on behalf of the bidder. The Bid document uploaded through digital signature other than authorized person shall summarily be rejected.

12.2 Bidders are advised to study the Bid Document carefully. Submission of the Bid will be deemed to have been done after careful study and examination of all instructions, eligibility norms, terms and requirement specifications in the Bid document with full understanding of its implications. Tenders not complying with all the given clauses in this Bid document are liable to be rejected. Failure to furnish all information required in the Bid Document or submission of a Bid not substantially responsive to the Bid document in all respects will be at the Bidder's risk and may result in the rejection of the tender.

13. MODIFICATION AND WITHDRAWAL OF TENDERS

Tenders once submitted should not be modified. However in exceptional cases where modification is inevitable, the following procedure for the same should be adopted:-

- 13.1 Bidder shall be allowed to upload the modified Bid in Corporation e-tendering website www.tenderwizard.com/CWC before or up to Bid submission date and time only.
- 13.2 A Bidder wishing to withdraw its Bid shall notify the Corporation in writing prior to the deadline prescribed for Bid submission. The "BID WITHDRAWAL NOTICE" shall be emailed to cwcinsp.pub@gmail.com. Bid withdrawal notice received after the Bid submission deadline will be ignored and the submitted Bid will be dealt with as per terms & conditions of this tender.
- 13.3 No Bid can be withdrawn or modified in the interval between the Bid submission deadline and the expiration of the Bid validity period specified in Bid documents. Withdrawal or modification of a Bid during this interval shall result in Bidder's forfeiture of its EMD and black listing for three years.

14. BID OPENING AND EVALUATION

- 14.1 The Corporation will open Bid through e-tendering on-line system of CWC, Bid of only those Bidder's will be opened whose Earnest Money Deposit (EMD) will be found in order, in the presence of Bidder's representatives who choose to attend at their own costs, the opening at the time, on the date and at the place specified in the NIT. Bidder's representatives shall sign a register as a proof of their attendance. In the event of the specified date for the opening of tenders being declared holiday for the CWC, the Bids will be opened at appointed time on the next working day.
- 14.2 Prior to the detailed evaluation, the Corporation will determine whether each Bid is prima facie complete and is substantially responsive to the bidding documents. For purposes of this determination, a substantially responsive Bid is one that conforms to all the terms, conditions and specifications of the bidding documents without any deviations, conditionality and reservations.
- 14.3 The Corporation will examine the bids to determine whether they are complete and meet the Eligibility Criteria as per clause 3.1 and Annexure-A.
- 14.4 In particular, Bids with deviations from, objections to or reservations on provision such as those concerning Bid security/EMD, Bid Validity, Work completion Period, Contract, warranty, Governing Laws, Taxes

and duties, Response Time, Payment Terms, Firm Price, as well as provisions specified in the bid documents, if any, that the Bidder is not prepared to withdraw will be treated as non-responsive. The Corporation determination of the bidder's responsiveness is to be based on the contents of the Bid itself without recourse to extrinsic evidence.

- 14.5 If a Bid is not substantially responsive, it will be rejected by the CWC, and may not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the non-conformity.
- 14.6 The Tenders will be opened in Publicity Division, CWC, CO, New Delhi -110016 through e-tendering on-line system of CWC on the date and time as mentioned in NIT, in the presence of bidder's representatives who wish to be present at their own cost.
- 14.7 Corporation reserves the right to extend the last date and time for submission of filled Bid.
- 14.8 Tenderers must ensure that the documents uploaded for e-tendering should be clear and readable. The tenderers must check the print quality of the documents meant for uploading. Unreadable documents will be summarily rejected and the tender shall not be considered for evaluation. Successful tenderer will have to sign and submit all pages of Bid document and agreement.
- 14.9 The Financial Bid of the agencies fulfilling the eligibility criteria only will be opened, for which date will be informed separately.
- 14.10 The empanelment of agency(s) will be done from the list of finally eligible agencies after evaluation of the Financial Bid. The agency quoted higher rebate will be considered as L-1.
- 14.11 In case more than one bidder quoted the same rate, multiple agencies may be empanelled. However, maximum three agencies will be empanelled which will be selected/ranked based on their average turnover of last three financial years.
- 14.12 Participating MSEs quoting price within a price band of L1+15% shall also be allowed to supply a portion of requirement by bringing down their price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a MSE., and such Micro and Small Enterprise shall be allowed to supply upto 20 percent of total tendered value, a sub-target of 20% out of 20% is to be earmarked for MSE owned by the

Scheduled Caste or the Scheduled Tribe Entrepreneurs. In case of more than one such MSE, the supply will be shared proportionately (to tendered quantity). However, for procurement of services or supplies where quantity is not splittable or non-dividable, MSE quoting price within the price band or L1+15% may be awarded for full / complete supply of total tendered value

15.0 Seeking clarifications & missing documents from the Bidder on the Technical & Commercial bid.

- (i) CWC may seek any specific clarifications to meet the tender requirement during the pre-qualification and technical evaluation stage of bid.
- (ii) If there are conditions attached to any financial proposal/bid, which shall have bearing on the total cost, the Financial Evaluation Committee shall reject any such proposal(s) as non-responsive. However, if the Committee feels it as necessary to seek clarification on any financial proposal(s) regarding taxes, duties or any such matter, CWC may invite response(s) in writing.
- (iii) Following procedure shall be adopted to seek clarifications/missing document(s) on point (i) and (ii) above:
 - a) To avoid either unfairness to potential bidders or the impression of unfairness to any bidder, these clarifications to be obtained from all the bidders by calling the clarifications from all the bidders at the same time, giving them reasonable time period i.e. not exceeding more than 15 days and opening the responses (clarifications) received from all the bidders at the same time.
 - b) The bidder has the option to respond or not to respond to these queries.
 - c) If the bidder fails to respond, within the stipulated time period or the clarification submitted is non-conforming to requirement of tender conditions, no further time will be given for submitting the clarification and the bid will be summarily rejected.
 - d) The request for clarification shall be in writing and no change in quoted prices or substance of the bid shall be sought, offered or permitted. No post bid clarification at the initiative of the bidder shall be entertained.
 - e) All the responses to the clarifications will be part of the Proposal of the respective bidders, and if the clarifications are in variance with

the earlier information in the proposal, the information provided in later stages will be the part of the agreement.

(iv) Preliminary scrutiny of bids

The Corporation will scrutinize the bids received to see whether they meet the basic requirements as incorporated in the bid document. The bids which do not meet the basic requirements shall be treated as unresponsive and ignored. The following are grounds to which a bid may be declared as unresponsive and to be ignored during the initial scrutiny:

- a) The bid is unsigned;
- b) The bid is not legible;
- c) Required EMD and cost of tender has not been received;
- d) The bid validity period mentioned by the bidder in the bid document is for a shorter period than the period required and stipulated in the bid document.
- e) The bidder has not quoted for all the items, as specified in the tender document.
- f) The bidder has not agreed to some of the essential conditions like payment terms, warranty clause, liquidated damages clause, dispute resolution mechanism etc. (having significant bearing on the cost/performance/utility of the required items) incorporated in the bid document.

16. CORRECTION OF ERRORS

16.1 The errors/discrepancies in respect of the specified amount in Bid Proposal Sheets for an individual item and/or sub-item and/or in the sub-total of a Bid Proposal Sheet and/or in the Grand total of a Bid Proposal Sheet, either due to discrepancy between figures and words and/or simple arithmetical error while adding and/or multiplying and/or due to wrong extension of unit rates etc. the error will be rectified and computed by the Corporation as per the following method:

- a.) In case of discrepancy between figures and words the value specified in the words will be considered for computation.
- b.) In case unit rates are not indicated in words then unit rates indicated in figures will be considered and will be used for deriving out the amount from the quantities specified in the Bid documents.

- c.) The items for which Bidder does not quote the price i.e. indicated as 'Nil', leaves the rate/amount columns blank, puts a (-) mark or indicates 'NA' etc. in the rate/amount column; cost of that item shall be considered as "inclusive" for Bid evaluation for such items.

17.0 ACCEPTANCE OF TENDER

- 17.1 The Deputy General Manger (Publicity) for and on behalf of the Corporation reserves the right to reject any or all the tenders, without assigning any reasons thereof and does not bind himself to accept any other tender. When a Bid is accepted, the successful Bidder will be advised for the acceptance of his Bid by a letter as formal 'Acceptance of Tender'.
- 17.2 The Corporation reserves the right to award the contract for which rates are called for herein. The decision of the Deputy General Manager (Publicity), Corporate Office, New Delhi, shall be final and binding on the bidder.

18.0 VALIDITY OF THE BIDS

- 18.1 The Bid should be kept valid for a period of 120 days from the date set for opening of Bids.
- 18.2 In exceptional circumstances, prior to expiry of the original Bid validity period, Corporation may request the Bidder for a specified extension in the period of validity. A Bidder may refuse the request without forfeiting his EMD. A Bidder agreeing to the request will neither be required nor permitted to modify his tender.

(Signature of the authorized person)

ANNEXURE-A

**ELIGIBILITY CRITERIA FOR TECHNICAL QUALIFICATION AND
DOCUMENTS TO BE UPLOADED BY THE BIDDER**

Sr. No.	Eligibility Conditions	Documentary Proof to be uploaded	Whether uploaded (Yes/No)	File name & page no. uploaded supporting documents
1.	Bidder should be Incorporated/formed for last 10 (ten) years on the date of NIT:- (i) as Company in India under Company Act 2013 Or (ii) Public Sector Undertaking/ Statutory body Or (iii) Partnership firm Or (iv) Sole Proprietorship firm Or MSME	i) Copy of Certificate of Incorporation in case of Company ii) Articles and Memorandum of Association of Company showing Scope of business and list of Directors in case of company. iii) Copy of the partnership deed in case of partnership firm. iv) Self attested certificate in case of sole proprietorship firm. v) Copy of registration and competency Certificate issued by any of the agencies mentioned in notification by MSME(Ref. Clause 10.3), if applicable.		
2.	Bidder should have 8 years experience as on date of NIT in the field of Advertising Agency from the date of obtaining INS Accreditation	Copies of work order issued by clients relating to advertising agency work		

3.	Bidder should have Accredited with Indian Newspaper society(INS)	Copy of Accreditation Certificate issued by INS		
4.	The Bidder must be an empanelled Advertising Agency with atleast 5 CPSUs during last three years as on the date of NIT.	Enclose experience certificates from CPSUs clients.		
5.	The Bidder should be profit making firm and shall have average turnover of INR 5 crore during last three financial years (2014-15, 2015-16 & 2016-17)	Relevant pages of audited Profit & loss account for the last three financial years (2014-15, 2015-16 & 2016-17)		
6.	The bidder should have experience (for 3 years on the date of NIT) in releasing advertisement through DAVP	Copies of work orders showing release of advertisements through DAVP.		
7.	The Bidder should not have been black listed by any State Government, Central Government or any other Public Sector undertaking or a Corporation or any other Autonomous Organization of Central or State Government as on date of NIT.	Undertaking signed by the authorized signatory as per Annexure-F		

8.	Authorized signatory (using Digital signature)	<p>i) For limited Company:- Board Resolution in favour of authorized signatory.</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Power of Attorney in favour of authorized signatory.</p> <p>ii) For Partnership Firm:- Power of Attorney by all partners.</p> <p>iii) For Proprietorship Firm:- Authority letter of Proprietor if the authorized signatory is other than proprietor.</p>		
9.	The Bidder should be registered with Income Tax and Service Tax Department.	<p>I) Copy of valid PAN card. II) Copy of valid GST registration.</p> <p>(Application for registration with Income Tax Department and/or with GST Tax Commissionerate will not be considered as a valid document)</p>		
10.	Financial bid	Annexure –D		
11.	EMD amounting to Rs. 100000 (Rupees One Lakh only)	<p>Proof of payment of EMD to be uploaded</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Certificate of registration for tenderer registered with NSIC or registration certificate with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME</p>		
12.	Cost Of Tender	<p>Proof of payment to be uploaded</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>Certificate of registration (for tenderer registered with NSIC) or registration certificate with any of the agencies mentioned in the notification of Ministry of MSME.</p>		

13.	Tender processing fee	Proof of e-Payment to M/s K.S.E.D.C. Limited, Bangalore.		
14.	Net Worth Certificate	Tenderer should submit positive net worth certificate duly certified by a practicing Chartered Accountant as per Annex-G based on the latest financial year for which accounts i.e. Profit & Loss Account and Balance Sheet have been enclosed with the tender .		
15.	Undertaking For Unconditional Acceptance of Terms & Conditions of the Tender Document	Bidder to submit Undertaking For Unconditional Acceptance of Terms & Conditions of the Tender Document as per Annexure-E duly signed by the authorized signatory.		

Other Terms & Conditions

1. CWC reserves the right to terminate the contract at any time by giving one month's written notice.
2. The Corporation shall not guarantee any amount of turnover during the contract period.
3. A formal agreement in the prescribed form (Annexure-H) shall be executed within a period of 10 days from the date of acceptance of tender. The agreement should be executed on the valid non judicial stamp paper of the appropriate value. Stamp paper should be purchased by the Agencies on their own names. Nothing is to be transcribed/typed on the back of the stamp paper. Any additional material should be transcribed on the continuation sheets which should be on bond paper of A-4 size.
4. The selected advertising agency is expected to maintain high level of professional ethics and will not act in any manner, which is detrimental to CWC's interest. Agency will maintain confidentiality on matters disclosed till proper instruction is issued for publication. CWC reserves the right to impose penalty in case of any violation of the above.
5. The selected agency should be able to execute order at short notice and even on holidays.
6. The selected agency/agencies shall ensure proper typography and layout for each advertising so that minimum space be used as far as possible.
7. CWC through its authorized officers shall have right to inspect the services regarding conduct of advertising services for CWC. Should there be any need for improvement/correction, the necessary alternation shall be incorporated free of cost by the agency.
8. In case of breach of any terms and conditions mentioned in the tender document, CWC reserves the right to terminate contract and get the balance work at their risk & cost. CWC also reserves the right to blacklist the agency permanently and/or forfeit the Security Deposit besides other remedies as per tender condition.
9. No right whatsoever shall be created by any empanelled agency as regards to award of work compulsorily.

10. The media plan shall be decided by the CWC which may be based on the circulation or the reach of the newspaper (s)/magazine (s) for each assignment.
11. CWC shall not be held responsible for any loss and non-receipt of proposal. CWC reserves the right to reject any or all proposals without assigning any reason thereof.
12. For all purposes of the contract including arbitration there under, the address of the contractor mentioned in the tender shall be the address to which all communications and notices addressed to the contractor shall be considered to be duly served if the same shall have been delivered, left, or posted by registered post, unless the contractor notifies a change by a separate letter sent by Registered post acknowledgement addressed to the Deputy General Manager(Publicity), Central Warehousing Corporation, Corporate Office, 4/1, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110016.
13. Corporation reserves the right to cancel/withdraw the NIT without assigning any reason and shall bear no liability whatsoever consequent upon such a decision.
14. **Subletting and Assignment:** The contractor shall not sublet, transfer or assign the contract or any part thereof without the previous written approval of the Corporation. In the event of the contractor contravening this condition, the Corporation shall be entitled to place the contract elsewhere on the contractor's account and at their risk and the contractor shall be liable for any loss or damage, which the Corporation may sustain in consequence or arising out of such replacing of the contract.

In case of individual/sole proprietorship firm, the contract comes to an end with the death of the contractor/individual or the proprietor of the sole proprietorship firm and contract shall not be awarded to his legal heirs.

15. PENALTY

1. Time is the essence of the contract and the milestones/delivery dates are binding on the bidder. In the event of delay or any gross negligence, for causes attributable to the bidder, in meeting the milestones/deliverables as per NIT, the Central Warehousing Corporation shall be entitled at its option to recover from the bidder as agreed, liquidated damages, a sum of 1% of the contract price of the corresponding milestone payment of delayed/undelivered services mentioned above for every month of delay or part thereof, subject to

the maximum value of the Liquidated Damages being not higher than 10% of the value of corresponding payment of the delayed/undelivered services. This right to claim any liquidated damages shall be without prejudice to other rights and remedies available to Central Warehousing Corporation under the contract and/or any other law.

2. The decision of the Competent Authority i.e. Director Personnel, CWC, CO, New Delhi for imposing Liquidated Damages will be final and binding upon the party and no correspondence etc. in this regard will be entertained by Central Warehousing Corporation.

16. **DISPUTE / ARBITRATION:** All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement whatsoever shall be referred to the sole arbitration of any person appointed by the Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi. The award of such arbitrator shall be final and binding on the parties to this contract. It is a terms of this contract that in the event of such Arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred or vacating his office or being unable to Act for any reason, the Central Warehousing Corporation at the time of such transferred, vacation of office or unable to act, shall appoint another person to act as arbitrator in accordance with the terms of this contract. Such person shall be entitled to proceed with the reference from the stage at which it was left by his predecessor. It is also a terms of this contract that no person other than a person appointed by the Managing Director, Central Warehousing Corporation, New Delhi as aforesaid should act as Arbitrator and if for any reason that is not possible the matter is not to be referred to Arbitration at all. The arbitrator shall give reasons for award.

Provide further that any demand for arbitration in respect of any claim (s) of the contractors under the contract shall be in writing and made within one year of the date of termination or completion (expiry of the period) of the contract and where this provision is not complied with, the claim(s) of the contractor shall be deemed to have been waived and absolutely barred and the Corporation shall be discharged and released of liabilities under the contract.

The Venue of arbitration shall be such place as may be fixed by the arbitrator in his sole discretion.

The work under the contract shall if reasonable possible continue during the arbitration proceedings and no payment due or payable to contractors shall be withheld on account of such proceedings.

The costs of arbitration shall be borne by parties as per the decision of the arbitrator.

The arbitral proceedings in respect of dispute shall commence on the date on which the Arbitrator call upon the parties to file their claim and defence statement.

The arbitrator shall give separate award in respect of each dispute or difference referred to him. Subject as aforesaid the **Arbitration and Conciliation Act, 1996** shall apply to the Arbitration proceedings under this clause.

PAYMENT TERMS

1. The Agency shall furnish a copy of rate card of each publication carrying advertisement and the bill in original received by them from media/newspaper/company along with the bill for payment.
2. The payment shall be released by CWC against the bill received from the agency, within 30 days of receiving the original bill with proper documents.
3. No advance payment shall be made to the agency under any circumstances.
4. All payment shall be subject to TDS.
5. Alongwith the bill for payment the agency shall furnish a card rate of publication sheet of each publication and carrying advertisement and the bill in original received by them from media.
6. The payment shall be release through e-payment. Following information/particulars shall be furnished by the agency enabling CWC to make e-payment.
 - i. Bank account number of the firm/company:
 - ii. Name of the Bank:
 - iii. I.F.S.C. Code Number of the Branch:
7. Prices quoted are inclusive of all applicable taxes except GST. GST shall be paid extra applicable rates subject to submission of tax invoice as per rules under GST law.

CWC shall deduct GST at source at applicable rates in case transactions under this contract are liable to GST deduction at source.

Under GST regime, the contractor is required to correctly and timely disclose the details of output supplies to CWC as per GST rules in his GST returns. Non-compliance would result in mis-matching of claims and denial of input tax credit to CWC.

8. All the correspondence with regard to the above shall be made at the address mentioned in the Tender Document.

ANNEXURE-C

PROFILE OF AGENCIES

1.	Name of the Agency	
2.	Registered Office	
3.	Address of Delhi Office	
4.	Nature of Agency(Ltd. Co., Partnership etc.)	
5.	Year of Establishment	
6.	Registration Number, if any/Trade License No.	
7.	Telephone number of the contact person (Mobile numbers if any)	
8.	Permanent Account Number (PAN)	
9.	GST Registration Number	

(Signature of the authorized person)

ANNEXURE-D

**TENDER NO.CWC/CO/PUB./EMPANELMENT OF ADVERTISING
AGENCY/2018-19 FOR SELECTION OF ADVERTISING AGENCIES**

FINANCIAL BID

1.	Price	We are offering _____% (.....in words) rebate on card rate in all Publication/Editions.
----	-------	---

Note:-

1. Prices quoted are inclusive of all applicable taxes except GST. GST shall be paid extra applicable rates subject to submission of tax invoice as per rules under GST law.

CWC shall deduct GST at source at applicable rates in case transactions under this contract are liable to GST deduction at source.

Under GST regime, the contractor is required to correctly and timely disclose the details of output supplies to CWC as per GST rule in his GST returns. Non-compliance would result in mis-matching of claims and denial of input tax credit to CWC.

We agree to the terms and conditions specified in the tender enquiry No. CWC/CO/Pub./Empanelment of Advertising Agency/2018-19.

(Signature of the authorized person)

ANNEXURE-E

Undertaking For Unconditional Acceptance of Terms & Conditions of the Tender Document.

(to be submitted in letter head)

Date:

To,
Deputy General Manager (Publicity),
Central Warehousing Corporation,
Corporate Office,
New Delhi

With reference to your Tender Invitation Notice No.CWC/CO/PUB/Empanelment of Advertising Agency/2018-19 dated2018. We accept all the terms and conditions mentioned in the Tender Document.

SIGNATURE OF THE AUTHORISED SIGNATORY:

NAME & ADDRESS OF THE BIDDER

COMPANY SEAL

(Signature of the authorized person)

ANNEXURE-F

Tender No. CWC/ CO/PUB./EMPANELMENT OF ADVERTISING AGENCY /2018-19 Date:....2018

Pro-forma for Declaration of Non-Blacklisting

Covering Letter from bidder

(To be submitted on Bidding company letter

head) Dated:

To,

The Deputy General Manager (Publicity)

Central Warehousing Corporation,

CO, New Delhi

Subject: Declaration for Non Blacklisting with reference to Tender No. -----
----- dated -----

With reference to the above mentioned tender, we hereby confirm that we have not been black listed by any State Government, Central Government or any other Public Sector undertaking or a Corporation or any other Autonomous Organization of Central or State Government as on Bid calling date.

Yours faithfully,

For (Bidders Name)

Authorized Signatory

Signature of tenderer

FORMAT OF NET WORTH

A. The Net Worth of Mr./Ms./M/s. _____ for last Financial Year _____ is Rs. _____ Lakhs as per his/her/their books of Accounts

(Note: Net Worth means sum total of paid up share capital plus free reserves. Further any debit balance of Profit and Loss Account and Misc. Expenses to the extent not adjusted/or written off, if any, shall be reduced from Reserves and Surpluses.

Signature of Chartered Accountant

Name:

Membership No.

Seal:

AGREEMENT

The agreement made on the _____ day of _____ between the Central Warehousing Corporation, 4/1, Siri Institutional Area, New Delhi established under Warehousing Corporation Act, 1962 (herein after called the 'Corporation') and M/s _____ a* partnership firm, consisting of partner, namely (1) _____ (2) _____ a company should be accredited with Indian Newspaper Society carrying a business in the name and style of M/s _____ (herein after called the Contractor) which term shall include, unless repugnant to the context, his/heirs and legal representatives, executors/administrators and successors.

WHEREAS the Corporation being in requirement of services of Advertising Agencies _____ had invited tender for empanelment thereof video tender NO. _____ . And WHEREAS the tender submitted by the Agency in his/their/its name dated _____ has/have been accepted by the Corporation, vide communication No. _____ dated _____.

It is hereby witnessed:

The terms and conditions incorporated in tender No. _____ form an integral part of this agreement and will be the sole repository of the terms and conditions governing the advertising services to be made by the contractor to the Corporation at the rebate of _____% (_____%) on card rate in all publications specified in the Financial Bid dated _____ submitted by the contractor.

In witnesses whereof the parties have set their hands on the date herein before mentioned above written.

Witness (with full Address)

Signature _____
(Name & Address of authorized signatory of Agency with seal)

1.

2.

• Strike out which ever is not applicable

for and on behalf of CWC

1.

2.

(Authorized Signatory)

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)
निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, हौजखास, नई दिल्ली में
विज्ञापन एजेंसी को पैनल में करने हेतु निविदा सूचना

महत्वपूर्ण सूचना		
1.	निविदा संदर्भ सं.	सीडब्ल्यूसी/सीओ/पब्लि./विज्ञापन एजेंसी का इम्पैनलमेंट/ 2018-19 दिनांक 28-08-2018
2.	निविदा की लागत	500/-रु. (पाँच सौ रु. मात्र) + जी एस टी 18 %
3.	2018-19 के लिए अनुमानित लागत मूल्य	130 लाख रु.
4.	कार्य की प्रकृति	2018-19 के लिए विज्ञापन एजेंसी को पैनल में करने हेतु (देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों में इनहाउस विज्ञापनों का प्रकाशन)
5.	पात्रता मानदंड	कृपया अनुलग्नक - क और पृष्ठ संख्या 3 के बिंदु 3 को देखें
6.	निविदा डाउनलोड करने हेतु वेबसाइट का पता	www.tenderwizard.com/CWC , www.cewacor.nic.in , www.eprocure.gov.in एवं www.tenderhome.com
7.	बोली प्रक्रिया की प्रकृति	वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर निगम की ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन □ वेदन
8.	पत्राचार का पता	उप महाप्रबन्धक (प्रचार), केन्द्रीय भंडारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110 016
9.	निविदा डाउनलोड करने की □ रंभिक तिथि	28-08-2018 2018 को प्रातः 9.30 बजे
10.	पूर्व बोली बैठक की तिथि एवं समय	किसी प्रकार के स्पष्टीकरण एवं पूछताछ के लिए प्रचार विभाग, केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में 07-09-2018 को सांय 3.00 बजे
11.	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	19-09-2018 (सांय 2.00बजे तक)
12.	निविदा जमा करने की अंतिम तारीख	19-09-2018 (सांय 3.00बजे तक)
13.	बिड को खोलना	केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली में 19-09-2018 (सांय 3.30 बजे)

इस निविदा में ए से एच अनुलग्नक सहित 01 से 30 पृष्ठ शामिल है।

निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

बिड अधिसूचना सं: केभनि/पब्लि./विज्ञापन एजेंसी का इम्पैनेलमेंट/2018-19 दिनांक 28-08-2018

केवल " ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से"

1.0 केन्द्रीय भंडारण निगम,निगमित कार्यालय, हौजखास, नई दिल्ली-110 016 में ई-टेंडरिंग के माध्यम से दो वर्षों के लिए विज्ञापन एजेन्सी के इम्पैनेलमेंट हेतु ओपन बिड ञ मंत्रित की जा रही है । बिड दस्तावेजों को निगम की वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर ई-टेंडरिंग सिस्टम के माध्यम से डाउनलोड कर तथा उसे भरकर जमा कराया जाए। यदि कोई बोलीदाता निगम की निविदा में भाग लेना चाहता है तो बोलीदाता को ऑनलाइन ई-टेंडरिंग के लिए हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स के.एस.ई.डी.सी. से विचार-विमर्श करके (तकनीकी बिड तथा वित्तीय बिड) अपनी फर्म को वार्षिक पंजीकरण शुल्क के साथ हमारी वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर देय तिथि तक एक बार पंजीकृत कराना होगा ताकि वह सीडब्ल्यूसी के साथ दो वर्षों तथा निगम के स्वनिर्णय के ञ धार पर अतिरिक्त तीन माह के लिए पैनल में ञ सके:-

क्र.सं.	मद का विवरण	निविदा दस्तावेज की लागत (रु.)	निविदा का प्रक्रिया शुल्क (रु.)	निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	अंतिम तिथि /समय		बिड की वैधता
					निविदा अपलोड करना	निविदा खोलना	
1.	विज्ञापन एजेंसी को पैनल में करने हेतु।	500/-रु. (पांच सौ रु.) + 18% जीएसटी	1534/- रु.(एक हजार पांच सौ चौतीस रु. मात्र) जिसमें 18% जीएसटी शामिल हैं।	19-09-2018 (सांय 2 बजे तक)	19-09-2018 (3 बजे तक)	19-09-2018 (330 बजे)	बिड खुलने की तिथि से 120 दिन

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.cewacor.nic.in/www.tenderwizard.com/CWC देखें अथवा मैसर्स के.एस.ई.डी. सी के प्राधिकृत, प्रतिनिधि श्री शिबु, मोबाईल नं- 8800115946 पर संपर्क करें ।

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

2.0 कार्य की प्रकृति :

देशभर के विभिन्न समाचार पत्रों में इन-हाउस विज्ञापनों का प्रकाशन करना ।

3.0 संविदा की अवधि:

विज्ञापन एजेंसी को दो वर्षों के लिए पैनल में लिया जाएगा तथा इसे केभनि द्वारा एजेंसी के कार्यनिष्पादन के ष्ठ महीने के आधार पर अगले तीन महीनों के लिए समान दरों, शर्तों एवं निबंधन पर बढ़ाया जा सकता है ।

3.1 पात्रता मानदंड

बोलीदाता को अनुलग्नक-क में दिए गए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है तथा प्रत्येक मानदंड के सामने उल्लेखित सभी दस्तावेज अपलोड करें जिसे पूरा न करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

4.0 ई- प्रोक्यूरमेंट

यह बिड ई-टेंडरिंग के माध्यम से प्रोसेस की जा रही हैं। बिड दस्तावेज निगम की ई-टेंडरिंग प्रणाली के माध्यम से www.tenderwizard.com/CWC वेबसाइट से डाउनलोड करके तथा उसे भरकर वेबसाइट पर जमा कराएं। बोलीदाता निविदा दस्तावेज अपलोड करते समय प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी निविदा निरस्त होने के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि कोई बोलीदाता निगम की निविदाओं में भाग लेना चाहता है तो उसे अपनी फर्म को हमारे सेवा प्रदाता मैसर्स के.एस.ई.डी.सी. लिमिटेड से परामर्श कर ऑनलाइन ई-टेंडरिंग के लिए हमारी वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर एक बार पंजीकृत करना होगा ।

किसी भी बोली को फिजीकल फार्म में स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी किसी भी निविदा को केभनि द्वारा पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा।

निविदा की लागत 500/-रु. (पाँच सौ रु. मात्र+ 18% जीएसटी) है तथा ईएमडी का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड या एनईएफटी/रटीजीएस या नेट बैंकिंग या डायरेक्ट डेबिट कार्ड द्वारा निविदा के नोटिंग पृष्ठ संख्या-5 पर क्लॉज 8 में दिए गए केन्द्रीय भंडारण निगम के बैंक खाते के विवरण के अनुसार भुगतान किया जा सकता है तथा भुगतान की रसीद को अपलोड करें ।

डिजिटल हस्ताक्षर: निगम की ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोलीदाता के डिजिटल हस्ताक्षर/डिजिटल सिग्नैचर प्रमाणपत्र अपेक्षित हैं (लॉग-इन, बिड दस्तावेजों की डाउनलोडिंग तथा अप लॉडिंग और ई-बिड दस्तावेजों को जमा करने के लिए)। डिजिटल हस्ताक्षर सीसीए (कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी)की किसी भी प्राधिकृत एजेंसी से लिए जा सकते हैं। इसके लिए सीसीए की प्राधिकृत एजेंसी को अलग से प्रोसेसिंग फीस देय होगी ।

ई-टेंडरिंग/ ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम में भाग लेने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर दिए 'REGISTER ME' लिंक पर क्लिक कर स्वयं को रजिस्टर करें। (यदि पहले रजिस्टर्ड नहीं है) संयुक्त उद्यम के मामले में बोलीदाता से अनुरोध है कि वे मैसर्स के.एस.ई.डी.सी. लिमिटेड के साथ केवल संयुक्त उद्यम में ही रजिस्टर करें, किसी भी प्रकार की सहायताके लिए कृपया हैल्प डैस्क से संपर्क करें।

रजिस्ट्रेशन के लिए विस्तृत प्रक्रिया नीचे दी जा रही है:

- i) www.tenderwizard.in/CWC पर जाएं।
- ii) 'REGISTER ME' लिंक पर क्लिक करें।
- iii) वेन्डर को □ वेदनकर्ता का विवरण डिजिटल हस्ताक्षर ई-मेल पता □ दि सूचना सही रूप में वेन्डर रजिस्ट्रेशन फार्म में भरनी होगी।
- iv) पावती के रूप में यूजर-□ ईडी और पासवर्ड बन जाएगा
- v) **मैसर्स के.एस.ई.डी.सी.** द्वारा पासवर्ड और यूजर □ ईडी एक्टिवेट किया जाएगा।

सभी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे समय से पूर्व स्वयं को रजिस्टर कराएँ। ऑन लाइन वेन्डर रजिस्ट्रेशन में देरी के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार नहीं किया जाएगा, यदि कोई हो तो। यदि कोई बोलीदाता निविदा अपलोड करने के लिए अंतिम समय तक प्रतीक्षा करता है और उस समय **यदि कोई तकनीकी समस्या आती है तब बिड क्लोजिंग समय को बीता हुआ माना जाए।**

ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के स्पष्टीकरण के लिए कृपया हैल्पडेस्क "प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर" टेंडर विजार्ड हेल्प डेस्क सेन्टर सी-62 द्वितीय तल, प्रीत विहार, मेट्रो पिलर सं0. 79 के सामने नई दिल्ली- 110092 फोन न0 49424365 श्री शिबू मोबाईल सं0 8800115946 से ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।

- 5.0 बोलीदाता द्वारा संपूर्ण बिड दस्तावेज www.tenderwizard.in/CWC से केवल रजिस्ट्रेशन के बाद तभी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जैसा कि ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त क्रम सं. 4.0 में स्पष्ट किया गया है।
- 6.0 बोली दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि **19-09-2018** को सांय 2.00 बजे तक है।
- 7.0 बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि निगम द्वारा निविदा से संबंधित किसी अधिसूचना उसके शुद्धिपत्र, परिशिष्ट □ दि सहित जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट देखते रहें।

- i) www.cewacor.nic.in
- ii) www.tenderwizard.com/CWC&iii www.eprocure.gov.in
- iv) www.tenderhome.com

8.0 निविदा लागत/ ईएमडी का भुगतान

बोली दस्तावेज की लागत 500/-रु. (पांच सौ रु. मात्र) + जीएसटी तथा रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की ईएमडी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या एनईएफटी/RTGS या नेट बैंकिंग या सीधे ही डेबिट कर नीचे दिए गए बैंक विवरण के अनुसार केभनि के खाते में अलग-अलग भुगतान किये जा सकते हैं:-

बैंक का नाम	विजया बैंक
शाखा	हौजखास, नई दिल्ली
ईएफएससी कोड	VIJB0006015
बैंक खाता सं.	601501011001058

निविदा की लागत तथा ईएमडी के लिए किए गए RTGS/एनईएफटी के यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेन्स (यूटीआर) अथवा क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग/डायरेक्ट डेबिट द्वारा किए गए भुगतान के प्रमाण बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की संशोधित योजना के अधीन रजिस्टर्ड निविदादाता, जो उक्त निगमसेसक्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें निविदा फार्म निःशुल्क जारी किए जायेंगे। एमएसएमई मंत्रालय के दिनांक 23.03.2012 की अधिसूचना में शामिल किसी भी एजेन्सी के साथ रजिस्टर्ड निविदादाता को निविदा फार्म मुफ्त जारी किए जाएंगे। यह छूट उन पार्टियों को नहीं दी जाएगी जिन्होंने बिड के साथ नीचे दी गई एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में शामिल किसी भी एजेन्सी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन और सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है:

- (i) जिला उद्योग केन्द्र
- (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग योजना
- (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- (iv) कोअर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- (vi) हस्तकला एवं हथकरघा निदेशालय
- (vii) उद्योग आधार

(viii) एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य संस्था

एमएसईएस उनके रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्ति की तिथि को भी अवश्य दर्शाएं ।

एमएसई के ऊपर बताए गए सभी लाभ केवल एमएसई की उन वस्तुओं और दी जाने वाली सेवाओं पर प्राप्त होंगे जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं। एमएसएमई के उपक्रम,यूनिट जो अनु.जाति/अनु.जन जाति के द्वारा चलाई जा रही हों, को उनके दिए जाने वाले लाभों के दावे के लिए प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अनु.जाति/अनु.जन जाति के एमएसई की परिभाषा नीचे दी जा रही है:-

- क. प्रोपराईटरी एमएसई के मामले में, प्रोपराईटर अनु.जाति/अनु.जनजाति का होगा ।
- ख. एमएसई पार्टनरशिप के मामले में, यूनिट में अनु.जाति/अनु.जनजाति पार्टनर के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होंगे।
- ग. प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में, अनु.जाति/अनु.जन जाति के प्रमोटर द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत शेयर होने चाहिए ।

यदि कोई एमएसई उपरोक्त पृष्ठ सं. 5 में दिए गए मानदण्ड पूरा नहीं करता तो भारत सरकार के दिनांक 23.03.2012 के एमएसई अधिसूचना में दिए गए विवरण अनुसार लाभ के ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा ।

निविदा समाप्त होने की तिथि एवं समय से पहले कैश रसीद की स्केन्ड कापी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (एनएसई ईसी में रजिस्टर्ड निविदाकर्ताओं के लिए) या एमएसएमई मंत्रालय के दिनांक 23.03.2012 की अधिसूचना में दी गई किन्हीं एजेंन्सियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड/ऑनलाइन जमा कराएं ।

प्रत्येक टेंडर के लिए 1534/- (एक हजार पांच सौ चौतीस रु. मात्र) 18% जीएसटी सहित (नॉन रिफण्डेबल) का टेंडर प्रोसेसिंग फीस मैसर्स के.एस.ई.डी. सी. लि., बंगलोर को ई पेमेंट द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए । जो बोलीदाता टेंडर प्रोसेसिंग फीस प्रस्तुत करने में असफल होंगे उनकी बोली सिस्टम में उपलब्ध नहीं होगी एवं टेंडर खोलने के दौरान उस पर विचार नहीं किया जाएगा ।

9.0 उपरोक्त क्लॉज 8.0 में दिए गए केन्द्रीय भंडारण निगम के बैंक विवरणों के अनुसार ईएमडी 1,00,000/- रु. (एक लाख रु. केवल) ऑनलाइन जमा कराई जाए । इस प्रकार की ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा । ईएमडी की रसीद न मिलने के मामले में बिड पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

10.0 बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी इन मामलों में जब्त कर ली जाएगी -

(i) यदि बोलीदाता बोली प्रस्तुत करने के बाद तथा बोली प्रस्ताव में निर्दिष्ट बोली की अवधि के दौरान बोली वापस लेता है ।

(ii) यदि बोलीदाता किसी धोखाधड़ी में पाया जाए । यदि बोलीदाता ने झूठे/संदिग्ध, जाली या छेड़छाड़ करने वाले दस्तावेज/घोषणा / विवरण जमा किए हों ।

10.1 सफल बोलीदाता के समझौते पर हस्ताक्षर होने तथा अपेक्षित सिक्योरिटी डिपोजिट जमा कराने के पश्चात सभी असफल बोलीदाताओं की बयाना राशि वापस कर दी जाएगी । सफल बोलीदाता द्वारा जमा की राशि को सिक्योरिटी डिपोजिट का एक भाग माना जाएगा । वे बोलीदाता जिन्होंने ईएमडी जमा करायी हो और किन्हीं कारणों से ऑनलाइन बिड जमा कराने की प्रक्रिया को पूरा न कर पायें हों, ऐसे मामलों में बिड के खुलने पर बयाना राशि तुरन्त वापिस कर दी जाएगी। किसी भी मामले में **बयाना राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा ।**

10.2 वे बोलीदाता जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की संशोधित योजना में रजिस्टर्ड है तथा जो सक्षमता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं उन्हें एनएसए इसी द्वारा निर्धारित मोनिटरी सीमा तक बयाना राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं है । निविदाकर्ता एनएसए ईए के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में निर्धारित मोनिटरी सीमा से परे वांछित बयाना राशि निविदा के साथ जमा कर सकते हैं । यह छूट उन पार्टियों के लिए नहीं होगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और सक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। यदि पार्टी वंछित प्रमाण-पत्र जमा करने में असफल रहती है तो बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा और निरस्त कर दिया जाएगा।

10.3 जो निविदाकर्ता एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में दी गई किसी भी एजेन्सी में निविदा मद के लिए रजिस्टर्ड हैं उन्हें रजिस्टर्ड एजेंसी द्वारा निर्धारित मोनिटरी सीमा तक अपेक्षित बयाना राशि को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है । एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी के साथ रजिस्टर्ड प्रमाण - पत्र में निर्धारित मोनिटरी सीमा से परे अपेक्षित बयाना राशि टेंडर के साथ जमा करनी चाहिए। यह रियायत उन पार्टियों को नहीं दी जाएगी जिन्होंने बिड के साथ एमएसएमई मंत्रालय के दिनांक 23.12.2012 की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी के द्वारा जारी पंजीकरण और सक्षमता प्रमाण-पत्र जमा नहीं किया है, इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- (i) जिला उद्योग केन्द्र
- (ii) खादी एवं ग्रामोद्योग ञ योग
- (iii) खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड
- (iv) कॉअर बोर्ड
- (v) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

- (vi) हस्तकला एवं हस्तकरघा निदेशालय
- (vii) उद्योग ँ धार
- (viii) एमएसई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य संस्था

एमएसईएस को उनके रजिस्ट्रेशन की वैद्यता तिथि को भी बतानी होगी ।

11.0 सुरक्षा जमा

सफल बोलीदाता को कार्य दिए जाने के 7 दिनों के भीतर किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के पक्ष में बयाना राशि के 5 गुना सुरक्षा जमा अर्थात् 5,00,000/- रु. (पांच लाख रुपए केवल) जमा करानी होगी। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं होगा और किसी भी परिस्थिति में ब्याज के संबंध में निगम के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा । सुरक्षा जमा राशि को कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद तथा कॉन्ट्रैक्टर के साथ सभी लेखों को व्यवस्थित करने एवं 'कोई राशि बकाया नहीं' का प्रमाण पत्र मिलने के बाद बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। यदि सफल निविदाकर्ता ने पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए सुरक्षा जमा राशि दी है तो उसे इस निविदा के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा और उसे इस निविदा के लिए अलग से सुरक्षा जमा राशि देनी होगी।

निगम द्वारा सुरक्षा जमा राशि को निम्नलिखित स्थितियों के तहत लागू किया जाएगा:-

- i) यदि बोलीदाता निगम के अनुसार संतोषजनक स्तर पर कार्य पूरा करने में असफल रहता है।
- ii) यदि बोलीदाता इस निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों के अनुरूप कार्य करने में असफल होता है।
- iii) यदि बोलीदाता कॉन्ट्रैक्ट अवधि के दौरान कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटता है।

12बोली प्रक्रिया

12.1 बोली प्रस्तुत करना

बोलीदाता को बोली अनिवार्य रूप से केवल ई-टेण्डरिंग वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC के द्वारा ही प्रस्तुत करनी होगी। खंड संख्या 3.1 एवं

अनुलग्नक-‘क’ के अन्तर्गत उल्लिखित दस्तावेजों को निगम की ई-टेंडरिंग वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC के माध्यम से अपलोड किया जाएगा । बोर्ड रेजोल्यूशन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी/टेण्डर पर हस्ताक्षर करने की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला प्राधिकृत हस्ताक्षरी बोलीदाता की ओर से अपने डिजिटल हस्ताक्षर से ही बोली को अपलोड कर पाएगा । प्राधिकृत व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर के अलावा अपलोड किए गए बोली दस्तावेज तुरन्त ही निरस्त कर दिए जायेंगे ।

- 12.2 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन कर लें । बोली प्रस्तुत करने पर यह समझा जाएगा कि इसे सभी अनुदेशों, योग्यता मानदंडों, बोली दस्तावेज की शर्तों एवं वांछित विशेषताओं के सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं जांच के साथ-साथ इसके प्रभावों को भली-भाँति समझने के बाद ही प्रस्तुत किया गया है। जिस निविदा में दस्तावेजों में दिए गए खंडों का अनुपालन नहीं किया गया होगा उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा । बोली दस्तावेज में वांछित सभी सूचनाओं को प्रदान करने में असफल रहने अथवा ऐसी बोली का प्रस्तुत करना जो बोली दस्तावेजों की दृष्टि से पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं हो तो यह बोलीदाता के जोखिम पर होगा और जिसके परिणामस्वरूप निविदा निरस्त हो सकती है ।

13. निविदाओं का संशोधन एवं वापस लिया जाना

एक बार प्रस्तुत की गई निविदा में संशोधन नहीं होगा । फिर भी, अपवादिक मामलों में जहां संशोधन अपरिहार्य हो, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए :-

- 13.1 बोलीदाता को निगम की ई-टेंडरिंग वेबसाइट www.tenderwizard.com/CWC पर केवल बोली प्रस्तुत करने से पहले या बोली प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय तक संशोधित बोली अपलोड करने की अनुमति होगी ।
- 13.2 जो बोलीदाता अपनी बोली को वापस लेना चाहता है, उसे बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि से पहले निगम को लिखित रूप में सूचित करना होगा । “बिड विड्रॉल नोटिस” cwcinsp.pub@gmail.com पर ई-मेल किया जाए । यदि बोली वापस लेने संबंधी सूचना बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद

प्राप्त होगी तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा एवं प्रस्तुत की गई बोली पर इस निविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार डील किया जाएगा ।

- 13.3 बोली दस्तावेज में उल्लिखित बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं बोली की वैधता अवधि की समाप्ति के बीच बोली को वापस अथवा संशोधित नहीं किया जा सकेगा । इस अंतराल के दौरान बोली को वापस लिए जाने एवं संशोधन होने पर ऐसे बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर दी जाएगी एवं उनका नाम तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा ।

14. बोली खोलना एवं मूल्यांकन

- 14.1 निगम बोली को केन्द्रीय भंडारण निगम की ई-टेण्डरिंग ऑन लाइन सिस्टम द्वारा खोलेगा । केवल उन बोलीदाताओं की बोली खोली जाएगी जिनकी बयाना राशि (ईएमडी) सही रूप में पाई गई होगी । यह बोली एन० ईटी में निर्धारित समय, तिथि और स्थान पर अपने खर्च पर ० ने वाले बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी । बोलीदाताओं के प्रतिनिधि अपनी उपस्थिति के प्रमाण के तौर पर रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करेंगे । यदि निविदा खोलने की निर्धारित तिथि को केन्द्रीय भण्डारण निगम में छुट्टी घोषित होती है तो बोली दूसरे कार्य दिवस को नियत समय पर खोली जाएगी।
- 14.2 विस्तृत मूल्यांकन से पूर्व निगम यह निर्धारित करेगा कि क्या प्रत्येक बोली प्रथम दृष्टि में पूर्ण है एवं बोली दस्तावेजों के अनुसार सही है । इस निर्धारण के उद्देश्य से सही रूप से पूर्ण बोली वह है, जो बिना किसी भूल, शर्त एवं रिजर्वेशन के बोली दस्तावेजों संबंधी सभी शर्तों, निबंधनों, विवरणों की पुष्टि करती हो ।
- 14.3 निगम यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या ये पूर्ण हैं एवं खंड 3.1 एवं अनुलग्नक-क के अनुसार योग्यता मानदण्ड को पूरा करती हैं।
- 14.4 विशेष रूप से, बोली जिसमें त्रुटि हो, आपत्तियाँ हों अथवा प्रावधान पर आरक्षण हो जैसे कि जो बिड सिक्युरिटी/ई.एम.डी., बिड वैधता, कार्य पूर्णता अवधि, कान्ट्रैक्ट वॉरन्टी, गवर्निंग कानून, टैक्सेस एवं इयूटीज, रिस्पांस टाइम, भुगतान शर्तें, फर्म प्राइस के

साथ-साथ बिड दस्तावेजों में वर्णित प्रावधान, यदि कोई हो, जिन्हें बोलीदाता वापस नहीं लेना चाहता, को अनुकूल नहीं समझा जाएगा। निगम बोलीदाता के उत्तरदायित्व का निर्धारण उसकी बोली की विषयवस्तु के आधार पर करता है जो बाह्य साक्ष्य की सहायता के बिना होता है।

- 14.5 यदि कोई बोली संपूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है तो उसे केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा एवं बाद में बोलीदाता द्वारा उसे सही करके अनुकूल नहीं किया जा सकता।
- 14.6 निविदाएं प्रचार विभाग, केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली-110 016 में केन्द्रीय भंडारण निगम ई-टेण्डरिंग ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से एन.ई.टी. में उल्लिखित तिथि एवं समय पर अपने खर्च पर बोली में शामिल होने वाले बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
- 14.7 निगम बोली को भरकर प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 14.8 निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि ई-टेण्डरिंग के लिए अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट एवं पढ़ने लायक होने चाहिए। निविदाकर्ता अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के प्रिन्ट की गुणवत्ता की जाँच अवश्य करें। जो दस्तावेज पढ़ने योग्य नहीं होंगे उन दस्तावेजों को सीधे ही निरस्त कर दिया जाएगा एवं निविदा पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता को बिड दस्तावेज एवं एग्रीमेंट के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करना होगा।
- 14.9 केवल पात्रता मानदंड पूरा करने वाली एजेन्सियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जिसकी तिथि अलग से सूचित की जाएगी।
- 14.10 वित्तीय बोली के मूल्यांकन के बाद पात्र एजेन्सियों की अंतिम सूची में से एजेंसी/एजेंसियों को पैनल में रखा जाएगा। छूट देने वाली एजेंसी को एल-1 माना जाएगा।
- 14.11 यदि एक से अधिक बोलीदाता समान दर का उल्लेख करते हैं तो ऐसी अवस्था में मल्टीपल एजेन्सियों को पैनल में रखा जा सकता है। फिर भी, अधिकतम तीन एजेन्सियों को पैनल में रखा जाएगा जिन्हें उनकी पिछले

तीन वित्तीय वर्षों की औसत टर्नओवर के ञ धार पर चयनित /पदस्थ किया जाएगा।

- 14.12 L1+15% के प्राइस बैंड में एमएसई के कोटिंग प्राइस को भी लिए जाने की अनुमति है जिससे वह उस स्थिति में L1 मूल्य तक अपने मूल्य को नीचे लाएं जहाँ L1 मूल्य एम.एस.ई. के अतिरिक्त किसी अन्य से लिया हो, ताकि वह ञ वश्यकता के एक भाग की ञ पूर्ति कर सके और इस प्रकार के सूक्ष्म और लघु उद्यम को कुल प्रस्तावित मूल्य के 20% तक ञ पूर्ति करने की अनुमति होगी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमों के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए 20% में से 20% तक के उप-लक्ष्य को निर्धारित किया गया है । यदि ऐसे एम.एस.ई. एक से अधिक हैं, तो ञ पूर्ति भी ञ नुपातिक (प्रस्तावित मात्रा) रूप से शेयर की जाएगी । फिर भी, सेवाओं या ञ पूर्ति के प्रापण के लिए, जहाँ मात्रा विभाजित अथवा विभक्त करने योग्य नहीं हैं, मूल्य बैंड अथवा L1+15% के अंतर्गत एम.एस.ई. कोटिंग मूल्य को कुल प्रस्तावित मूल्य की पूरी ञ पूर्ति के लिए कार्य दिया जा सकता है ।

15.0 तकनीकी एवं वाणिज्यिक बोली पर बोलीदाता से स्पष्टीकरण मांगना

- (i) प्री- क्वालिफिकेशन एवं बोलीदाता की तकनीकी मूल्यांकन अवस्था के दौरान निविदा ञ वश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम कोई भी विशेष स्पष्टीकरण मांग सकता है।
- (ii) यदि किसी वित्तीय प्रस्ताव/ बोली के साथ शर्तें जुड़ी हैं, जो कुल लागत को वहन करेगी तो वित्तीय मूल्यांकन समिति ऐसे किसी प्रस्ताव को नान-रिस्पान्सिव होने के कारण निरस्त कर देगी । फिर भी, यदि टैक्स, ड्यूटीज या अन्य किसी मामले से संबंधित किसी वित्तीय प्रस्ताव/ प्रस्तावों पर समिति स्पष्टीकरण लेना ञ वश्यक समझे तो केन्द्रीय भंडारण निगम लिखित रूप में जबाव मांग सकता है।
- (iii) उपरोक्त बिन्दु संख्या (I) एवं (II) के संबंध में स्पष्टीकरण / मिसिंग दस्तावेज मांगने के निम्नलिखित प्रावधान अपनाए जायेंगे :-

- क) सक्षम बोलीदाताओं को अनुचित या किसी भी बोलीदाता को अनुचित प्रभाव से बचाने के लिए सभी बोलीदाताओं से मांगा जाने वाला स्पष्टीकरण जो उन्हें दिए गए 15 दिन की न्यूनतम अवधि से अधिक न हो, मंगाया जाता है और सभी बोलीदाताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं (स्पष्टीकरण) को एक ही समय पर खोला जाता है।

- ख) बोलीदाता के पास यह विकल्प है कि वह प्रश्नों के उत्तर दें या न दें ।
- ग) यदि बोलीदाता निर्धारित समयावधि में जवाब देने में असफल रहता है अथवा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण निविदा शर्तों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता तो ऐसी अवस्था में स्पष्टीकरण देने हेतु ँगे और समय नहीं दिया जाएगा एवं बोली सीधे निरस्त कर दी जाएगी।
- घ) स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में होना चाहिए एवं बोली के दिए गए मूल्य या सार में परिवर्तन की मांग या प्रस्ताव की कोई अनुमति नहीं होगी । बोलीदाता द्वारा बोली के बाद दिए गए स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
- ङ) स्पष्टीकरण के लिए दिए गए सभी जवाब संबंधित बोलीदाता के प्रस्ताव का ही भाग होंगे एवं यदि स्पष्टीकरण/दस्तावेजों में प्रस्ताव में पहले दी गई सूचना से अंतर दिखाई देता है तो बाद में दी गई सूचना एग्रीमेंट का भाग होगी ।

(iv) **बोली की प्रारम्भिक समीक्षा**

निगम प्राप्त बोली की समीक्षा करके देखेगा कि क्या यह बोली दस्तावेजों में सम्मिलित मूल ँ वश्यकताओं को पूरा करती है । जो बोली मूल ँ वश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, उसे अनुकूल नहीं समझा जाएगा एवं उस पर कोई विचार भी नहीं किया जाएगा । निम्न ँ धार पर बोली को अनुकूल नहीं माना जाएगा और प्रारम्भिक समीक्षा के दौरान उन पर विचार नहीं किया जाएगा :

- क) बोली पर हस्ताक्षर न हो;
- ख) बोली स्पष्ट/पठनीय न हो;
- ग) अपेक्षित ईएमडी एवं निविदा की लागत प्राप्त न हुई हो;
- घ) बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेज में दी गई बोली वैधता अवधि, बोली दस्तावेज में निर्धारित और अपेक्षित अवधि से कम अवधि की हो ।
- ङ) बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी मर्दों के लिए अपनी कोटेशन न दी हो ।
- च) बोलीदाता बोली दस्तावेज में सम्मिलित कुछ ँ वश्यक शर्तों जैसे भुगतान की शर्त, वारन्टी क्लॉज, लिक्विडेटेड डैमेजेजक्लॉज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन

मैकेनिज्म □ दि (अपेक्षित मदों की लागत/निष्पादन/उपयोगिता का महत्व रखने संबंधी) से सहमत न हो ।

16. गलतियों में सुधार

16.1 बोली प्रस्ताव शीटों में निर्दिष्ट राशि में गलती/ विसंगति के संबंध में व्यक्तिगत मद एवं/अथवा उप मद के लिए एवं /अथवा बोली प्रस्ताव शीट में उप-योग एवं /अथवा बोली प्रस्ताव शीट के कुल योग में या अंकों एवं शब्दों में विसंगति के कारण एवं /अथवा जोड़ करते समय सामान्य गणितिय गलती एवं / अथवा गुणा एवं /अथवा यूनिट मूल्यों □ दि के गलत विस्तार के कारण निगम द्वारा निम्नलिखित पद्धति द्वारा गलती में सुधार अथवा गणना की जाएगी:

- क) अंकों एवं शब्दों के बीच में विसंगति के मामले में गणना करने हेतु शब्दों में निर्दिष्ट मूल्य पर विचार किया जाएगा ।
- ख) जहाँ यूनिट रेट्स शब्दों में नहीं दिए गए वहां अंकों में दी गई यूनिट दरों पर ही विचार किया जाएगा एवं बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट मात्राओं से राशि निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ।
- ग) जिन मदों के लिए बोलीदाता ने कीमत उद्धृत (कोट) नहीं की है यानि कि शून्य (निल) दर्शाया है, रेट/राशि कॉलम खाली छोड़कर वहाँ रेट/राशि कॉलम में (-) मार्क अथवा लागू नहीं (एन.ए.) □ दि दिखाया गया है वहाँ ऐसी मदों के लिए बोली मूल्यांकन हेतु उस मद की कीमत सम्मिलित समझी जाएगी ।

17.0 निविदा की स्वीकृति

17.1 उप महाप्रबंधक (प्रचार) निगम के लिए और उसकी ओर से बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं एवं किसी भी निविदा को लेने के लिए वह बाध्य नहीं हैं। जब बोली स्वीकार कर ली जाती है तो सफल बोलीदाता को उनकी बोली स्वीकार किए जाने की सूचना औपचारिक रूप से 'निविदा स्वीकृति' के बारे में पत्र भेजकर दी जाती है ।

17.2 निगम उन कॉन्ट्रैक्ट को प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जिनके लिए दरें □ मंत्रित की गई हैं । उप महाप्रबंधक (प्रचार), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाता को मान्य होगा ।

18.0 बोली की वैधता

18.1 बोली खोलने की नियत तिथि से 120 दिन की अवधि के लिए बोली को वैध रखा जाएगा ।

18.2 अपवादिक परिस्थितियों में मूल बोली वैधता अवधि की समाप्ति से पूर्व निगम वैधता अवधि में निर्दिष्ट विस्तार हेतु बोलीदाताओं से अनुरोध कर सकता है। बोलीदाता अपनी ईएमडी को समाप्त किए बिना इस अनुरोध के लिए इंकार कर सकता है । जो बोलीदाता अनुरोध से सहमत हैं, उन्हें अपनी निविदा में संशोधन करने की न तो □ वश्यकता है और न ही इसके लिए उन्हें अनुमति होगी ।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

बोलीदाता द्वारा अपलोड किए जाने वाले तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेजों के लिए पात्रता मानदंड

क्र.सं	पात्रता मानदंड	अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजी प्रमाण	क्या अपलोड कर दिया (हां/नहीं)	अपलोड किए गए सहायक दस्तावेजों की फाइल का नाम एवं पृष्ठ संख्या
1.	<p>एनए ईटी की तारीख को बोलीदाता गत 10 (दस) वर्षों के लिए शामिल/गठित होना चाहिए:</p> <p>(i) कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में कंपनी के रूप में</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम/सांविधिक निकाय</p> <p>अथवा</p> <p>(iii) पार्टनरशिप फर्म</p> <p>अथवा</p> <p>(iv) एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म</p> <p>अथवा</p> <p>एमएसएमई</p>	<p>1. कंपनी के मामले में शामिल किए जाने के प्रमाण पत्र की प्रति</p> <p>2. कंपनी के मामले में बिजनेस के अवसर दर्शाते संस्था के अंतर्नियम और ज्ञापन तथा निदेशकों की सूची।</p> <p>3. पार्टनरशिप फर्म के मामले में पार्टनरशिप डीड की कॉपी ।</p> <p>4. एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म के मामले में स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र।</p> <p>5. एमएसएमई (संदर्भ खण्ड 10.3) द्वारा अधिसूचना में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी के द्वारा जारी पंजीकरण और सक्षमता प्रमाण पत्र की प्रति, यदि लागू हो।</p>		

2.	बोलीदाता को □ ईएनएस मान्यता प्राप्त करने की तिथि से विज्ञापन एजेंसी के क्षेत्र में एन□ ईटी की तिथि को 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए	विज्ञापन एजेंसी संबंधी कार्य के लिए क्लाइंट्स द्वारा जारी कार्य □ देश की प्रतियां ।		
3.	बोलीदाता इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए (□ ईएनएस)	□ ईएनएस द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति ।		
4.	बोलीदाता एन□ ईटी की तारीख को गत तीन वर्षों के दौरान कम से कम 5 सीपीएसयू के साथ पैनल विज्ञापन एजेंसी में होना चाहिए ।	सीपीएसयू क्लाइंट्स से अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।		
5.	बोलीदाता की फर्म लाभ कमाने वाली होनी चाहिए और उसकी पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के दौरान औसत टर्नओवर 5 करोड़ रुपए होनी चाहिए।	पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2014-15, 2015-16 और 2016-17) के लेखा परीक्षित लाभ और हानि खाते के संबंधित पृष्ठ		
6.	बोलीदाता को डीएवीपी के माध्यम से विज्ञापन जारी करने (एन□ ईटी की तारीख को 3 साल) का अनुभव होना चाहिए।	डीएवीपी के माध्यम से जारी विज्ञापन संबंधी कार्य □ देश की प्रतियां।		
7.	बोलीदाता को एन□ ईटी की तिथि तक किसी भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निगम या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी अन्य स्वायत्त संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो।	अनुलग्नक - च के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वचनबद्धता		
8.	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करें)	i) लिमिटेड कंपनी के लिए:- प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में निदेशक मण्डल का संकल्प और		

		<p>प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पॉवर ऑफ अटार्नी साझेदारी फर्म के लिए:- सभी साझेदारों द्वारा पॉवर ऑफ अटार्नी</p> <p>iii) स्वामित्व वाली फर्मों के लिए:- प्रोप्राइटर का प्राधिकृत पत्र यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उसके अलावा अन्य कोई हो ।</p>		
9.	बोलीदाता □ यकर और सेवा कर विभाग द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।	<p>I) पैन कार्ड की फोटो प्रति II) सेवाकर पंजीकरण की प्रति (□ यकर विभाग और या सेवा कर कमीशनरेट के पास पंजीकरण के लिए □ वेदन को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा ।</p>		
10.	वित्तीय बोली	अनुलग्नक- घ		
11.	100000/-रू.(एक लाख रू. मात्र)की बयाना राशि ।	<p>जमा की गई बयाना राशि का प्रमाण अपलोड किया जाए ।</p> <p>अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र (एनएसआईसी के साथ पंजीकृत निविदाकर्ता के लिए) या एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी से पंजीकरण प्रमाण पत्र</p>		
12.	निविदा मूल्य	<p>भुगतान का साक्ष्य अपलोड किया जाए</p> <p>अथवा पंजीकरण प्रमाण पत्र (एनएसआईसी के साथ पंजीकृत</p>		

		निविदादाता के लिए) और एमएसएमई मंत्रालय की अधिसूचना में उल्लिखित किसी भी एजेंसी से पंजीकरण प्रमाण पत्र		
13.	निविदा प्रक्रिया फीस	मैसर्सकेएसईडीसी लिमिटेड, बंगलुरु को ई-पैमेंट का साक्ष्य		
14.	निवल मूल्य प्रमाण-पत्र	निविदादाता को अनुलग्नक-छ के अनुसार प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित निवल मूल्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो नवीनतम वित्तीय वर्ष के आधार पर होगा और जिसके साथ लेखे अर्थात् लाभ एवं हानि खाता तथा तुलन-पत्र निविदाके साथ संलग्न किए गए हों।		
15.	निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों की बिना शर्त स्वीकृति के लिए वचनबद्धता	निविदादाता को निविदा दस्तावेज की शर्तों एवं निबंधनों की बिना शर्त स्वीकृति के लिए अनुलग्नक-ड के अनुसार प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की गई वचनबद्धता जमा करवानी होगी ।		

अनुलग्नक-ख

अन्य निबंधन एवं शर्तें

1. केन्द्रीय भंडारण निगम के पास एक माह का लिखित नोटिस पर किसी भी समय संविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
2. निगम संविदा अवधि के दौरान टर्नओवर की किसी भी राशि की गारंटी नहीं देगा ।
3. निविदा स्वीकार होने की तिथि से 10 दिन के भीतर निर्धारित फार्म (अनुलग्नक-ज) में औपचारिक अनुबंध किया जाना चाहिए । एग्रीमेंट समुचित मूल्य के मान्य नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर होना चाहिए । एजेंसी द्वारा स्टैम्प पेपर अपने नाम से ही खरीदा जाना चाहिए। स्टैम्प पेपर की पिछली तरफ कुछ भी टाइप की नकल/टाईप नहीं होना चाहिए । किसी भी प्रकार की अतिरिक्त सामग्री को ए-4 साइज के बाण्ड पेपर पर जारी रखा जाना चाहिए।
4. चयनित विज्ञापन एजेन्सी से □ शा की जाती है कि वह उच्च स्तर के व्यावसायिक □ चार-विचार को अपनाते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे केन्द्रीय भंडारण निगम के हितों को कोई नुकसान पहुँचे । एजेंसी मामलों पर गोपनीयता बनाए रखेगी जब तक कि उन्हें प्रकाशन के उचित निदेश जारी न कर दिए जायें । केन्द्रीय भंडारण निगम के पास उपर्युक्त का उल्लंघन करने पर पैनल्टी लगाए जाने का अधिकार भी सुरक्षित है ।
5. चयनित एजेंसी को शार्ट नोटिस पर और यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी □ देश जारी किया जा सकता है ।
6. चयनित एजेंसी / एजेंसियों प्रत्येक विज्ञापन की समुचित टाइपोग्राफी और ले□ उट को सुनिश्चित करें ताकि जहाँ तक संभव हो कम से कम स्पेस का इस्तेमाल किया जाए ।
7. केन्द्रीय भंडारण निगम के प्राधिकृत अधिकारियों को निगम के लिए दी जाने वाली विज्ञापित सेवाओं के निरीक्षण करने का अधिकार होगा । जहाँ पर भी किसी प्रकार की सुधार/सही करने की □ वश्यकता होगी, एजेंसी द्वारा □ वश्यक संशोधन निःशुल्क ही किए जाएंगे ।
8. यदि निविदा दस्तावेज में उल्लिखित किंही शर्तों एवं निबंधनों में किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो केन्द्रीय भंडारण निगम के पास संविदा को निरस्त करते हुए शेष कार्य को उनके जोखिम एवं लागत पर कराने का अधिकार सुरक्षित है। केन्द्रीय भंडारण निगम के पास निविदा शर्तों के अनुसार अन्य उपायों के अतिरिक्त जमानत राशि को जब्त करने तथा/या एजेंसी को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार भी सुरक्षित है।
9. किसी भी इम्पैनलड एजेंसी को कार्य सौंपे जाने के संबंध में यह अधिकार नहीं होगा कि उन्हें ही अनिवार्य रूप से कार्य सौंपा जाए।
10. केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा मीडिया प्लान का निर्णय लिया जाएगा जो प्रत्येक एसाइनमेंट के लिए समाचारपत्र/ पत्रिकाओं के पहुँच या परिचालन पर □ धारित होगा ।

11. केन्द्रीय भंडारण निगम किसी भी प्रकार के नुकसान और प्रस्ताव न मिलने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, निगम के पास किसी अथवा सभी प्रस्तावों को बगैर कोई कारण दिए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
12. संविदा के सभी उद्देश्यों जिसमें मध्यस्थता सम्मिलित है, निविदा में उल्लिखित संविदादाता का पता वही होना चाहिए जिस पर संपूर्ण पत्र व्यवहार और सूचनाएँ संविदादाता को भेजी जा सकें और उसे पंजीकृत डाक द्वारा डिलीवर, छोड़े या पोस्ट किए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि उन्हें वह पत्र/सूचना प्राप्त हो गई है जब तक कि संविदादाता ने उप महाप्रबंधक (प्रचार), केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016 को पंजीकृत डाक द्वारा अलग से पत्र लिखकर अपने पते में परिवर्तन की सूचना न दी हो।
13. निगम के पास बिना कोई कारण बताए एन॥ ईटी को निरस्त करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है और इस निर्णय के कारण निगम का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
14. **सबलैटिंग और एसाइनमेंट** संविदादाता निगम के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना संविदा या उसके किसी भाग को सबलैट, स्थानान्तरित या किसी अन्य को सौंप नहीं सकता। यदि संविदादाता इस शर्त का उल्लंघन करता है तो निगम को संविदादाता की ओर से और उसके जोखिम पर किसी अन्य को संविदा सौंपने का अधिकार होगा तथा संविदा को किसी अन्य को सौंपने के कारण निगम को होने वाली किसी क्षति या हानि के लिए संविदादाता उत्तरदायी होगा।

व्यक्ति/पूर्ण स्वामित्व वाले फर्म के मामले में यदि संविदादाता/व्यक्ति या पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो संविदा समाप्त हो जाएगी और संविदा उसके उत्तराधिकारियों को नहीं सौंपी जाएगी।

15. पैनल्टी

1. संविदा की मूल अवधारणा समय है और बोलीदाता समय पर लक्ष्य प्राप्ति/डिलीवरी की तिथि के लिए बाध्य है। बोलीदाता के कारण एन॥ ईटी के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति/डिलीवरी को पूरा करने में हुई देरी या किसी घोर लापरवाही की स्थिति में केन्द्रीय भंडारण निगम बोलीकर्ता की सहमति से हर महीने देरी या उसके भाग के लिए उपरोल्लिखित देरी/डिलीवर न की गई सेवाओंके संबंध में भुगतान के संविदा मूल्य का 1% परिनिर्धारित हर्जाना राशि वसूल करने के विकल्प काहकदार होगा, बशर्ते कि परिनिर्धारित हर्जाने की अधिकतम राशि देरी/डिलीवर न की गई सेवाओं से संबंधित

भुगतान के मूल्य से अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक न हो।केन्द्रीय भंडारणनिगम के अन्य अधिकार एवं उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे संविदा और/या किसी अन्य कानून के तहत किसी भी परिनिर्धारित हर्जाने का दावा करने का अधिकार होगा।

2. परिसमापन क्षतियों लगाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी यानि निदेशक (कार्मिक) केन्द्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली का निर्णय अंतिम होगा और पार्टी पर बाध्य होगा और इस संबंध में किए गए किसी भी पत्राचार पर केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा विचार नहीं किया जाएगा ।

16 **विवाद/ मध्यस्थता:** इस करार से उत्पन्न होने वाले अथवा इससे संबंधित किसी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के ही मध्यस्थम में लाया जाएगा । इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और इस संविदा की पार्टियों के लिए बाध्य होगा । इस संविदा की शर्त है कि ऐसे मध्यस्थ के, जिसके समक्ष मामला मूलतः प्रस्तुत किया गया है, स्थानांतरित होने अथवा अपना कार्यालय रिक्त करने अथवा किसी अन्य कारण से कार्य न कर पाने की वजह से केन्द्रीय भंडारण निगम ऐसे स्थानांतरण, कार्यालय रिक्त करने अथवा कार्य न कर पाने पर किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगा जो इस संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य करेगा । ऐसा व्यक्ति उसी स्तर से कार्य ँ रंभ करेगा जहाँ उसके पूर्ववर्ती ने छोड़ा था । इस संविदा की यह भी शर्त है कि केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली के प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ नहीं होगा और यदि किसी कारण से ऐसा संभव न हो तो मामले को मध्यस्थम के लिए नहीं दिया जाएगा । मध्यस्थ को अपने निर्णय का कारण बताना होगा ।

परन्तु साथ ही संविदा के अंतर्गत संविदाकार (संविदाकारों) के दावे (दावों) के संबंध में मध्यस्थम हेतु मांग लिखित में और संविदा के टर्मिनेशन अथवा समाप्ति (अवधि की समाप्ति) की तारीख से एक वर्ष के अन्दर होगा और यदि इस प्रावधान का पालन नहीं किया जाता तो संविदाकार के दावे (दावों) को अस्वीकार और पूर्णतः वर्जित माना जाएगा और निगम संविदा के अन्तर्गत सभी दायित्वों से मुक्त हो जाएगा ।

मध्यस्थम का स्थान मध्यस्थ द्वारा निर्धारित और उसके एकमात्र अधिकार में होगा ।

संविदा के अंतर्गत किया जा रहा कार्य यदि संभव हो तो मध्यस्थम कार्रवाई के दौरान चालू रहेगा और ऐसी कार्रवाई के कारण संविदाकार को देय अथवा भुगतान की जाने वाली राशि को रोका नहीं जाएगा ।

मध्यस्थम के निर्णयानुसार पार्टी द्वारा मध्यस्थम् की लागत वहन की जाएगी ।

मध्यस्थ को उस तारीख से मामले के अंतर्गत समझा जाएगा जिस तारीख को उसने पहली सुनवाई की तारीख की फिक्सिंग का नोटिस दोनों पार्टियों के लिए जारी किया हो।

मध्यस्थ उसे बताए गए प्रत्येक विवाद या मतभेद के संबंध में अलग-अलग निर्णय देगा। उक्त विषय के रूप में, इस खंड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही के लिए **मध्यस्थम और समझौता अधिनियम, 1996** लागू होगा।

भुगतान की शर्तें

1. एजेंसी विज्ञापन वाले प्रत्येक प्रकाशन के दर कार्ड की प्रति और भुगतान के लिए बिल के साथ मीडिया/समाचार पत्र/कंपनी से उनके द्वारा प्राप्त मूल बिल की एक प्रति लगाएगी।
2. सीडब्ल्यूसी द्वारा समुचित दस्तावेजों के साथ मूल बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एजेंसी को भुगतान किया जाएगा ।
3. किसी भी परिस्थिति में एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।
4. सभी भुगतान टीडीएस के अधीन किए जाएंगे ।
5. एजेंसी भुगतान के लिए बिल के साथ प्रत्येक प्रकाशन की प्रकाशन शीट का एक कार्ड दर और उसका विज्ञापन तथा मीडिया से उनके द्वारा प्राप्त मूल बिल प्रस्तुत करेगी।
6. भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। एजेंसी द्वारा सीडब्ल्यूसी को निम्नलिखित सूचना/विवरण दिया जाएगा ताकि सीडब्ल्यूसी उसे ई-पेमेंट कर सके।
 - i. कंपनी/फर्म का बैंक एकाउंट नंबर:
 - ii. बैंक का नाम:
 - iii. ब्रान्च का □ ई.एफ.एस.सी. कोड नंबर:
7. दिए गए मूल्य में जीएसटी छोड़कर सभी लागूकर शामिल हैं। यदि जीएसटी नियमों के अनुसार टैक्स इन्वाइस जमा कराया गया है तो अतिरिक्त लागू दरो पर जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। यदि इस संविदा के तहत लेन-देन स्रोत पर जीएसटी कटौती के लिए देय है तो केभनि लागू दरों पर स्रोत से जीएसटी की कटौती करेगा।

जीएसटी पद्धति के तहत संविदादाता के लिए अपेक्षित है कि वह अपने जीएसटी रिटर्न जीएसटी नियमों के अनुसार अपने □ उटपुट सप्लाइज का विवरण सही रूप में और समय

पर निगम को अवगत कराए। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप दावों का मिलान नहीं होगा तो केभनि इनपुट टैक्स क्रेडिट से मना कर देगा।

8. उपरोक्त के संबंध में सभी पत्राचार निविदा दस्तावेज में दिए गए पते पर किया जाए ।

एजेंसियों का प्रोफाइल

1.	एजेंसी का नाम	
2.	पंजीकृत कार्यालय	
3.	दिल्ली कार्यालय का पता	
4.	एजेंसी की प्रकृति (लि., कंपनी, पार्टनरशिप □ दि)	
5.	स्थापना का वर्ष	
6.	पंजीकृत नंबर, यदि कोई है/ट्रेड लाइसेंस नंबर	
7.	संपर्क व्यक्ति का टेलीफोन नंबर (मोबाइल नंबर, यदि कोई है)	
8.	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
9.	जी एस टी, पंजीकृत नं०	

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

विज्ञापन एजेंसियों के चयन के लिए निविदा संख्या सीडब्ल्यूसी/सीओ/पब्लि./विज्ञापन
एजेंसी का इम्पैनलमेंट/2018-19

वित्तीय बिड

1.	मूल्य	हम सभी प्रकाशन / संस्करणों में कार्ड की दर पर _____ % (.....शब्दों में) की छूट दे रहे हैं।
----	-------	---

टिप्पणी :-

यदि इस संविदा के तहत लेन-देन स्रोत पर जीएसटी कटौती के लिए देय है तो केभनि लागू दरों पर स्रोत से जीएसटी की कटौती करेगा।

जीएसटी पद्धति के तहत संविदादाता के लिए अपेक्षित है कि वह अपने जीएसटी रिटर्न जीएसटी नियमों के अनुसार अपने □ उटपुट सप्लाइज का विवरण सही रूप में और समय पर निगम को अवगत कराए। यदि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप दावों का मिलान नहीं होगा तो केभनि इनपुट टैक्स क्रेडिट से मना कर देगा।

हम निविदा जांच संख्या सीडब्ल्यूसी/सीओ/पब्लि./विज्ञापन एजेंसी का इम्पैनलमेंट/ 2018-19 में निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों से सहमत हैं।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

निविदा दस्तावेज की निबंधन एवं शर्तों की बिना शर्त स्वीकार्यता के लिए वचनबद्धता

(लैटर हैड में प्रस्तुत किया जाए)

दिनांक:

सेवा में,
उप महाप्रबंधक (प्रचार),
केन्द्रीय भंडारण निगम,
निगमित कार्यालय,
नई दिल्ली

□ पके दिनांक 2018 की निविदा □ मंत्रण सूचना सं. सीडब्ल्यूसी/सीओ-पब्लि./विज्ञापन एजेंसी इम्पैनलमेंट/2018-19 के संदर्भ में हम निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी निबंधन एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

बिड्डर का नाम एवं पता

कंपनी सील

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

निविदा संख्या सीडब्ल्यूसी/सीओ/पब्लि./विज्ञापन एजेंसीका इम्पैनलमेंट/2018-19

दिनांक :

जिन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, उनकी घोषणा के लिए प्रोफार्मा

बिड्डर की ओर से कवर पत्र

(बिड्डिंग कंपनी के लैटर हैड पर दिया जाए)

दिनांक:

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (प्रचार),

केन्द्रीय भंडारण निगम,

निगमित कार्यालय,

नई दिल्ली

विषय: दिनांक----- की निविदा सं. ----- के संदर्भ में

ब्लैकलिस्ट नहीं किए गए बिड्डर का घोषणा पत्र

उपरोल्लिखित निविदा के संदर्भ में, हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि बिड ँ मंत्रण की तिथि तक हमें किसी भी राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निगम या केन्द्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी अन्य स्वायत्त संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

भवदीय,

कृते (बिड्डरकर्ता का नाम)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निवल मूल्य का फार्मेट

श्री/सुश्री/ मै०.....

का गत वित्तीय वर्षके लिए उनकी लेखा बही के अनुसार
.....लाख रु. का निवल मूल्य है ।

(टिप्पणी : निवल मूल्य का अर्थ है कि प्रदत्त शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्वस का कुल योग है । इसके अतिरिक्त,यदि लाभ एवं हानि खाते के कोई डेबिट बैलेंस एवं विविध व्यय जो कुछ सीमा तक समायोजित/अथवा पुरांकित नहीं किए गए (यदि कोई हैं) उन्हें रिजर्वस एवं सरप्लस से घटाया जाए ।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट के हस्ताक्षर

नाम :

सदस्यता सं०

मोहर :

करार

भण्डारण निगम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत स्थापित केन्द्रीय भण्डारण निगम, (जिसे इसमें 'गे निगम' कहा गया है) 4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, नई दिल्ली और दूसरे मैसर्स.....जो एक भागीदारी फर्म है और जिसके भागीदार (1).....और (2)हैं। भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी है/मैसर्सके नाम से व्यापार कर रहा है (जिसे इसमें 'गे संविदाकार' कहा गया है) और इसके अन्तर्गत जब तक सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, उसके वारिस और विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक/प्रकाशक और उत्तराधिकारी शामिल हैं, के बीच 'ज' तारीखको यह करार किया गया है।

निगम ने विज्ञापन एजेंसियों की सेवाओं की 'व'श्यकता होने पर वीडियो निविदा संख्या.....के द्वारा पैनलमैन्ट के लिए निविदा 'मं'त्रित की थी तथा एजेंसी द्वारा तारीख.....में उनके नाम पर प्रस्तुत निविदा को निगम ने तारीखके पत्र संख्या.....द्वारा स्वीकार कर लिया है।

अब यह निम्नलिखित साक्षी हैं।

निविदा संख्या.....में सन्निहित निबन्धन और शर्तें इस करार का अभिन्न अंग हैं और संविदाकार द्वारा निगम को निगम के तारीखके पत्र में निर्दिष्ट दरों परकी पूर्ति को शासित करने वाली शर्तों और निबन्धनों का एक माह संग्रह है: और संविदाकार के उक्त पत्र को केवल दरों के लिए देखा जाएगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप दोनों पार्टियों ने उपर्युक्त तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्ष्य (पूरे पते के साथ)

हस्ताक्षर

1.

(एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की सील के साथ नाम एवं पता)

2.

*जो लागू न हो उसे काट दें।

केन्द्रीय भण्डारण निगम के लिए और उसकी ओर से

1.

2.

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)